EAST CENTRAL RAILWAY

YELLOW BULLETIN

(June -2024, ISSUE NO. 72)

Contains Irregularities/Deficiencies detected during Hqr inspections: -

1.	During inspection of Crew lobby at Muzaffarpur on 14.06.2024, it was found that72 FSDs are available out of which 11 are under repair. Approx. 20 more FSDs required. Out of 152 VHF Sets, 143 are in working condition and demand is for 25 more VHF Sets.
2.	Sri Dilip Kumar - II/ALP was absent from 28.10.23 and Sri Deepak Kumar V/ALP was absent from 12.07.22 at Crew Lobby/Muzaffarpur.
3.	At Muzaffarpur Crew Lobby, there is no separate/attached toilet provided for women employees, though five numbers of women employees are working in lobby and there is no separate room for counseling of LPs/ALPs/Guards.
4.	At GRL station, it was noted that same Private No. of SM was given to LC No. 26, 27 & 28 for opening/closing the gate. Separate Private No. exchange is required as per norms for separate units/events.
5.	At GRL station - SM's room size is congested and provision of 2 VDUs + Booking Counters managed by contractor has made it more congested. Provision of AC in SM's room is necessarily required. VDU Panel hangs intermittently due to excessive heat inside the room as reported.
6.	At HUFP station - In both the ends of existing Goods Shed, additional High Mast light is required because existing three masts are not sufficient to illuminate entire area and Goods Shed is open for Round the Clock working, and No CSL of lines is shown on Panel. As per SWR, Line No. 1 & 2 are 750 Mtrs and Line No.3 is 781 Mtrs.
7.	At HUFP station - TPC Phone is available but was too noisy. Even when trying to contact on TPC phone, communication could not be established.
8.	At LC no 3/C/T/HUFP on 19.06.2024, it was reported by Gate Man that he is getting weekly rest but since last one year, he is not getting leave due to shortage of staff.
9.	Pressure Gauge was not available with Guard/HQ/NKE and Flashing Tail Lamp used by Guard was local made in which all the lights were not working and was not giving adequate light of train no KUMB Goods checked at MFP on 20.06.2024.
10.	On 20.06.2024, MFP Yard Line No. 4, 7 & 5/6/7, where BLC is prohibited, the caution was given to 19484 which is not required and needs to be deleted for M/Exp./Passenger trains.
11.	It was noted that when 19484 was being received on PF No. 3, at MFP on 20.06.24, Points beyond Starter was kept set towards PF No. 2 and not for over run line. When 19484was being received, Point beyond Starter S 9 was changed in face of approaching train towards the overrun line before stopping the incoming train for departure of 14018.
12.	Whistle, First aid box and Guard certificate were not available with Guard/HQ/DDU of train no 03256 on 28.06.2024 at Buxar.
13.	At Shivpur station - Entire track was covered with coal dust from line no 01 to 04. Shallow screening is required. Water sprinkler was not working for protecting coal dust.

SPECIAL ATTENTION TO BE PAID: -

1. Be sure to use stop plug, safety collar, slide/lever collar etc when any block is allowed.
2. Ensure that Points are set against the Line on which the block is given at the station and concerned signal is made inoperative temporarily vide GR/SR 15.06 if required.
3. If a traffic block or power block is given at the station, the line obstructed board or Power block board should be used on the concerned device/block instruments.
4. Make sure to enter in the station diary and TSR regarding block in Red Ink.
5. The Station Master should be aware of the rules in respect of traffic blocks mentioned in Chapter 15 of the GR & SR and in respect of Power Blocks in Chapter 17 of the GR & SR.

"Divisions are advised to ensure immediate circulation (in yellow color printout) to all concerned for initiating action and compliance of the above irregularities/anomalies/Special Attention and report to be sent to this office for onward action."

BINAY KUMAR DAS Digitally signed by BINAY KUMAR DAS Date: 2024.07.11 12:41:55 +05'30'

(B. K. Das)
COM/G/ECR

No.ECR/OPTG. Safety/Yellow Bulletin/87/505 Dated -11.07.2024.

Copy to:-
1. PCOM & PCSO - for kind information please.
2. DRM- DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ - for kind information please.
3. Sr.DOM -DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ for information & necessary action please.
4. ZRTI MFP & BHULI for information please.

पूर्व मध्य रेल

<u>येलो बुलेटिन</u>

(जून – 2024 अंक.72)

मुख्यालय द्वारा किए गये निरीक्षण के दौरान पाए गए कमियों/अनियमितताओं को समाहित करते हुए:-

1.	दिनांक 14.06.2024 को मुजफ्फरपुर में क्रू-लॉबी के निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि 72 एफएसडी उपलब्ध हैं, जिनमें से 11 की मरम्मत चल रही है। लगभग 20 और एफएसडी की आवश्यकता है। 152 वीएचएफ सेटों में से 143 सुचारु रूप से काम करने की स्थिति में हैं और 25 और वीएचएफ सेटों की मांग है।
2.	क्रू-लॉबी/मुजफ्फरपुर में श्री दिलीप कुमार - II/सलोपा दिनांक 28.10.23 से अनुपस्थित थे और श्री दीपक कुमार V/ सलोपा दिनांक 12.07.22 से अनुपस्थित थे।
3.	मुजफ्फरपुर क्रू-लॉबी में, महिला कर्मचारियों के लिए कोई अलग/संलग्न शौचालय उपलब्ध नहीं है, हालांकि लॉबी में पांच महिला कर्मचारी काम कर रही हैं और एलपी/एएलपी/गार्ड की काउंसलिंग के लिए कोई अलग कमरा नहीं है।
4.	गोरौल स्टेशन पर, यह पाया गया कि गेट खोलने/बंद करने के लिए स्टेशन मास्टर द्वारा एक ही निजी अंक समपार फाटक सं. 26, 27 और 28 को दिया गया था। अलग-अलग इकाइयों/घटनाओं के लिए मानदंडों के अनुसार अलग-अलग निजी अंक का आदान प्रदान आवश्यक है।
5.	गोरौल स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के कमरे का आकार छोटा है और 2 वीडीयू के साथ ठेकेदार द्वारा बुकिंग काउंटरों के प्रावधान ने इसे और अधिक संकीर्ण वाला बना दिया है। स्टेशन मास्टर के कमरे में एसी की व्यवस्था की आवश्यकता है। जैसा कि बताया गया, कमरे के अंदर अत्यधिक गर्मी के कारण वीडीयू पैनल बार-बार हैंग होता है।
6.	हरौली फतेहपुर स्टेशन पर - मौजूदा गुड्सशेड के दोनों सिरों पर, अतिरिक्त हाई मास्ट लाइट की आवश्यकता है क्योंकि मौजूदा तीन मास्ट पूरे क्षेत्र को रोशन करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और गुड्सशेड चौबीसों घंटे काम करने के लिए खुला है, और पैनल पर लाइनों का कोई सीएसएल नहीं दर्शाया गया है। स्टेशन संचालन नियमावली के अनुसार, लाइन नंबर 1 और 2 750 मीटर और लाइन नंबर 3, 781 मीटर है।
7.	हरौली फतेहपुर स्टेशन पर - टीपीसी फोन उपलब्ध है लेकिन बहुत शोर करता है। टीपीसी के फोन पर संपर्क करने का प्रयास करने पर भी संपर्क स्थापित नहीं हो सका।
8.	दिनांक 19.06.2024 को समपार फाटक संख्या 3/सी/टी/एचयूएफपी पर गेटमैन द्वारा बताया गया कि उसे साप्ताहिक विश्राम तो मिलता है लेकिन पिछले एक वर्ष से स्टाफ की कमी के कारण उसे अवकाश नहीं मिला है।
9.	दिनांक 20.06.2024 को मुजफ्फरपुर स्टेशन पर कुमारबाग माल गाड़ी के ब्रेकभान निरीक्षण में पाया गया की गार्ड/मुख्यालय /नकटियागंज के पास प्रेशरगेज उपलब्ध नहीं था तथा गार्ड द्वारा उपयोग किया जाने वाला फ्लैशिंग टेल लैंप लोकल पाया गया जिसमें सभी लाइट काम नहीं कर रहे थे और यह पर्याप्त रोशनी नहीं कर रहा था।
10	दिनांक 20.06.2024 को, मुजफ्फरपुर यार्ड लाइन नंबर 4, 7 और 5/6/7, जहां बीएलसी निषिद्ध है के लिए , 19484 को कॉशन दिया गया था, जिसकी आवश्यकता नहीं है और मेल/एक्सप्रेस यात्री ट्रेनों के लिए इसे हटाने की जरूरत है।
11	यह नोट किया गया कि जब दिनांक 20.06.24 को मुजफ्फरपुर पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 में 19484 का आगमन किया जा रहा था, तो स्टार्टर से आगे पॉइंट प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर के लिए सेट रखे गए थे, न कि ओवर रन लाइन के लिए। जब गाड़ी सं 19484 का आगमन किया जा रहा था, तो आने वाली ट्रेन के रुकने से पहले स्टार्टर एस 9 से आगे के प्वाइंट को ओवर रन लाइन की ओर आने वाली ट्रेन के सामने गाड़ी संख्या 14018 के प्रस्थान हेतु बदल दिया गया ।
12	दिनांक 28.06.2024 को बक्सर में ट्रेन संख्या 03256 के गार्ड/मुख्यालय/डीडीयू के पास सीटी, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और गार्ड प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं था।
13	शिवपुर स्टेशन पर - लाइन नंबर 01 से 04 तक पूरा ट्रैक कोयले की धूल से ढका हुआ था।शैलो स्क्रीनिंग की आवश्यकता है । कोयले की धूल को रोकने के लिए पानी का छिड़काव काम नहीं कर रहा था ।

<u>विशेष रूप से ध्यान दें :</u>

(i) ब्लॉक देते समय स्टॉप प्लग ,सेफ्टी कॉलर,स्लाइड /लीवर कालर इत्यादि के प्रयोग को सुनिश्चितकरें।

(ii) ब्लॉक की अनुमति के तुरंत बाद, स्टेशन पर ब्लाक किये गए लाइन के विरुद्ध काँटों का सेट किया जाना तथा संबंधित सिगनल को जी आर /एस आर 15 .06 के अनुसार यदि आवश्यक हो तो अस्थायी रूप से इन ऑपरेटिव किया जाना सुनिश्चित करें।

(iii) यदि स्टेशन पर ट्रैफिक या पॉवर ब्लाक दिया गया है , तो संबंधित डिवाइस /ब्लाक उपकरणों पर लाइन बाधित बोर्ड या पॉवर ब्लाक बोर्ड का उपयोग किया जाना चाहिए।

(iv) ब्लाक से संबंधित सभी इन्दराज स्टेशन डायरी तथा टी एस आर में लाल स्याही से किया जाना सुनिश्चित करें ।

(v) स्टेशन मास्टर को जी आर एस/ आर के अध्याय 15 में उल्लिखित ट्रैफिक ब्लाक के बारे में तथा अध्याय 17 में उल्लिखित पॉवर ब्लाक के बारे में नियमों का पता होना चाहिए ।

"मंडलों को सलाह दी जाती है की सर्वसंबंधित को (पीले रंग के प्रिंटआउट में) तत्काल वितरित कर कार्य वाही सुनिश्चित करें और उपरोक्त अनियमितताओं/विसंगतियों/विशेष ध्यान के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट इस कार्यालय कोआगे की कार्य वाही हेतु प्रेषित करें।"

BINAY KUMAR DAS Digitally signed by BINAY KUMAR DAS Date: 2024.07.11 12:43:00 +05'30'

(बी. के. दास)

मुख्य परिचालन प्रबंधक (सा) /पूमरे

सं. ई.सी.आर. /परि.सं./ येलोबुलेटिन/ 87 /505, दिनांक 11.07.2024.

प्रतिलिपि- 1. प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ।

2. मंडल रेल प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू., सोनपुर एवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ।

3. वरि.मं.परि.प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।

4. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर और भूली को सूचनार्थ।